न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,भरतपुर

अपील/49/2017

1–सुशील शम्म पुत्र स्व0 श्री राजाराम शर्मा आयु 63 वर्ष
2–श्रीमती निर्मला देवी पत्नी सुशील शर्मा आयु 61 वर्ष
जातियान ब्राहम्ण निवासी ए–12 हरिपथ तिलक नगर भरतपुर

....अपीलार्थी0

बनाम

सीमा शर्मा पत्नी स्व. दीपक कुमार हाल निवासी अमेरिकन गेट के अन्दर आर.ए.सी लाईन के पास भरतपुर

..... रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोष तथा कल्याण अधिनियम 2007 व खिलाफ निर्णय दिनांक 23.5.17 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन पीठासीन अधिकारी भरणपोषण भरतपुर ।

उपस्थित :–
1–श्री गोबिन्द सिंह डांगुर अभिभाषक अपीलान्टस
2– रेस्पो अनु0

निर्णय दिनांक 28.12.2017

अपीलार्थी ने यह अपील विरुद्व रेस्पो. व खिलाफ उपखण्ड अधिकारी भरतपुर आदेश दिनांक 23.2.2016 के पेश की गई है। अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने अपने आदेश दिनांक 23.2.2016 में उभय पक्षों को पाबन्द किया गया है कि आपस में सदभावनापूर्ण एवं मृदु व्यवहार करेगें। व्यर्थ बातें नहीं करेंगे। सीमा शर्मा का सामान जिस एक कमरे में रखा हुआ है उस कमरे में अपने सामान की सुरक्षा हेतु अपना ताला लगा सकती है। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. एवं पत्रावली तहत तलब की गई। रेस्पो सीमा शर्मा की ओर जबाब पेश किया गया जो शामिल मिसिल किया गया है। रेस्पो. अनु.। उपस्थित अपीलान्ट अभिभाषक को सुना गया ।

सत्यमेव जयते

हमने पत्रावलीयों का अध्ययन किया। उपस्थिति अभिभाषक अपीलान्ट के कथनों पर गौर किया गया। रेस्पो. सीमा शर्मा द्वारा प्रस्तुत जबाब का अध्ययन किया गया। अपीलाधीन आदेश तारीखी 23.5.2017 का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश के अन्तिम पैरा में आज्ञा दी गई है कि :–

.....2

"..... उभय पक्षों को पाबन्द किया जाता है कि आपस में सदभावनापूर्ण एवं मृदु व्यवहार करेंगें। व्यर्थ बातें नही करेंगें। सीमा शर्मा का सामान जिस एक कमरे में रखा हुआ है उस कमरे में अपने सामान की सुरक्षा हेतु अपना ताला लगा सकती है..... ।"

रेस्पो. श्रीमती सीमा शर्मा अपीलान्टस के पुत्र स्व. दीपक कुमार की पत्नी है। यानि अपीलान्टस की पुत्र वधू है, उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने परिवार में सद्भावना बनाये रखने को लेकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिस में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। मेरी भी विनम्र राय है कि दोनों परिवार सदभावनापूर्ण एवं मृदु व्यवहार रखते हुये जीवन निर्वहन करेंगें। अस्तु अपील काबिल खारिज के रहती है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। आदेश की प्रति पक्षकारान को पालनार्थ प्रेषित हो। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस उपखण्ड अधिकारी भरतपुर को लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2017 को सुनाया गया।

(डॉ.एन.के.गुप्ता)
जिला कलक्टर,
भरतपुर